इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 150] भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 अप्रैल 2013—चैत्र 11, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. एफ ए-3-12-2013-1-पांच (26).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 में,—

(एक) उपनियम (1) में,—

(क) खण्ड (दो) में, शब्द ''कच्चे माल'' के स्थान पर, शब्द ''कच्चे माल या आनुषंगिक माल'' स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(तीन) रियायती दर से प्रवेशकर उस विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा प्रभारित किया जाएगा जो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल का, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को कच्चे माल या आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिये अपना यह समाधान करने के पश्चात् विक्रय करता है कि उसके द्वारा विक्रय किया जा रहा माल क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के, वेट अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में कच्चे माल या आनुषंगिक माल के रूप में विनिर्दिष्ट है और जो कर निर्धारण के समय प्ररूप-एक में सम्यक् रूप से भरी गई तथा क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा हस्ताक्षरित की गई सत्य घोषणा प्रस्तुत करता है. दो समान व्यापारियों के बीच वर्ष की किसी तिमाही में होने वाले विक्रय के समस्त संव्यवहार, प्ररूप-एक में की जाने वाली घोषणा के अंतर्गत आ सकेंगे. ''.

(दो) उपनियम (2) में,—

(क) खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(एक) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो धारा 4 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल (उक्त अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट कोयला और लोहा तथा इस्पात से भिन्न) के किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के संबंध में मुजराई पाने का हकदार हो, अपनी विवरणी में, प्ररूप सात में ऐसी मुजराई का दावा करेगा;'';

(ख) खण्ड (चार) में,—

(1) उपखण्ड (ख) में, शब्द "कच्चे माल" के स्थान पर, शब्द "कच्चे माल या आनुषंगिक माल" स्थापित किए जाएं;

(2) उपखण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग) मुजराई का दावा करने वाला व्यापारी कर निर्धारण के समय, विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा सम्यक् रूप से भरी गई तथा हस्ताक्षरित प्ररूप-दो में सत्य घोषणा और उसके समर्थन में सुसंगत कैशमेमो या बिल या अन्य सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा. दो समान व्यापारियों के बीच वर्ष की किसी तिमाही में होने वाले क्रय के समस्त संव्यवहार, प्ररूप-दो में की जाने वाली घोषणा के अंतर्गत आ सकेंगे.";

2. प्ररूप-एक में, शब्द "कच्चे माल", जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "कच्चे माल या आनुषंगिक माल" स्थापित किए जाएं;

3. प्ररूप-दस में, शीर्षक के नीचे और अनुक्रमांक 1 के पूर्व, वर्णनात्मक आदेश का उत्तरालेखन करने के लिये स्थान के साथ एक चौखाना अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

वर्णनात्मक आदेश

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरेशी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. एफ ए-3-12-2013-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-12-2013-1-पांच (26), दिनांक 1 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरेशी, उपसचिव.

Bhopal, the 1st April 2013

No. F-A3-12-2013-1-V(26).—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal ke Pravesh Par Kar Niyam, 1976, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 4,

(i) in sub-rule (1),—

(a) In clause (ii), for the words "raw material", the words "raw material or incidental goods" shall be substituted;

(b) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely :—

"(iii) Entry tax at the concessional rate shall be charged by the selling registered dealer who sells goods specified in Schedule-II to another registered dealer for use as raw material or

incidental goods after satisfying himself that the goods being sold by him are specified as raw material or incidental goods in the crtificate of registration under the Vat Adhiniyam of purchasing registered dealer and furnishes at the time of assessment a true declaration in Form-I duly filled in and signed by the purchasing registered dealer. A declaration in Form- may cover all transactions of sale which take place in a quarter of year between the same two dealers.".

(ii) in sub-rule (2),—

(a) for clause (1), the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) A registered dealer who is entitled to set off under the second proviso to sub-section (1) of Section 4, in respect of the entry of goods specified in Schedule II (other than coal, and iron and steel as specified in the said Schedule) into a local area shall claim such set off in his return in Form VII;";

(b) in cluase (iv),—

(1) in sub-clause (b), for the words "raw material", the words "raw material or incidental goods" shall be substituted;

(2) for sub-clause (c), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(c) the dealer claiming set off shall, at the time of assessment, furnish a true declaration in Form-II duly filled in and signed by the selling registered dealer and copies of the relevant bills or cash memoranda or other relevant documents in support thereof. A declaration in Form II may cover all transactions of purchase, which take place in a quarter of a year between the same two dealers.";

2. In Form 1, for the words "raw material" wherever they occur the words "raw material or incidental goods" shall be substituted;

3. In Form X, below the heading and before serial number 1, a column with the inscription a space for descriptive order shall be inserted, namely :—

DESCRIPTIVE ORDER

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. R. Qureshi, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.